अनुसूचित जाति से संबंधित उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना

1.पृष्ठभूमि

1.1 भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को गरीबों, पद-दलित और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के वास्ते देशभर में आदर-सम्मान दिया जाता है। कमजोर वर्ग से संबंधित परिवार से होने के कारण, बाबा साहेब ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर सर्वोच्च पद प्राप्त किया और राष्ट्र निर्माण के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबा साहेब ने देश और विदेश दोनों जगहों पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त की। बड़ौदा के महाराजा द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पुरस्कार बाबा साहेब के जीवन और उपलब्धियों में महत्वपूर्ण महत्व रखता था। योग्यता को पहचानने और छात्रों को प्रोत्साहित करने तथा प्रेरित करने के उद्देश्य से, अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित मेधावी छात्रों को एकबारगी नकद पुरस्कार प्रदान करने का प्रस्ताव है।

1.2 इस योजना को "उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षा के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार योजना" के नाम से जाना जाएगा।

1.3 यह योजना डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में की गई थी।

2. उद्देश्य

2.1 अनुसूचित जाति से संबंधित मेधावी छात्रों की पहचान करना, बढ़ावा देना और आर्थिक सहायता प्रदान करना।

3.पात्रता

3.1 छात्र अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित होना चाहिए।

3.2 छात्र किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद और राष्ट्रीय मुक्त स्कूल शिक्षा संस्थान की परीक्षा में बैठा हो और उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा में कुल 50% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हो । देश के 29 बोर्डों/परिषदों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

4. <u>पुरस्कारों की संख्या</u>

4.1 डॉ.अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार उच्चतर माध्यमिक बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित नियमित <u>कक्षा **XII**</u> स्तर की परीक्षा में कला, विज्ञान (गणित के साथ), विज्ञान (जीव विज्ञान/गणित और जीव विज्ञान के साथ) और वाणिज्य जैसे 4 विषयों में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले तीन छात्रों को दिया जाएगा।

4.2 इस प्रकार, 29 बोर्डों (जिनमें 3 अखिल भारतीय बोर्ड शामिल हैं) में से प्रत्येक के लिए 12 पुरस्कार होंगे। एक से अधिक छात्रों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, ऐसे सभी पात्र छात्रों को कवर करने के लिए पुरस्कारों की संख्या में उचित रूप से वृद्धि की जाएगी।

5. <u>पुरस्कार की राशि</u>

5.1 पुरस्कार निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार एकबारगी अनुदान के रूप में दिया जाएगा:-

क्र.सं.		विज्ञान		कला	वाणिज्य
		मेडिकल स्ट्रीम	नॉन- मेडिकल स्ट्रीम		
1	सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र	रु. 60,000/-	रु. 60,000/-	रु. 60,000/-	रु. 60,000/-
2	दूसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र	रु. 50,000/-	रु. 50,000/-	रु. 50,000/-	रु. 50,000/-
3	तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र	रु. 40,000/-	रु. 40,000/-	रु. 40,000/-	रु. 40,000/-
कुल		रु. 1,50,000/-	रु. 1,50,000/-	रु. 1,50,000/-	रु. 1,50,000/-

5.2 यह पुरस्कार किसी भी अन्य पुरस्कार के अतिरिक्त दिया जाएगा, जो छात्र को अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहा हो।

6. छात्राओं के लिए विशेष योग्यता पुरस्कार

6.1 मेरिट के पहले तीन स्थानों के बाद, प्रत्येक स्ट्रीम में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली अगली तीन छात्राओं को 20,000/- रु. की राशि का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। यह छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य पुरस्कारों के अतिरिक्त होगा।

7. वित्तीय निहितार्थ

7.1	29 बोर्डों के 348 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए	174.00 लाख रु.
7.2	29 बोर्डों की 348 अनुसूचित जाति की छात्राओं और प्रत्येक के लिए 20,000 रु.	69.60 लाख रु.
	कुल	243.60 लाख रु.
7.3	छात्रों द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, कुल व्यय का 5% ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए रखा गया है।	11.18 लाख रु.
7.4	कुल अनुमानित व्यय	255.78 लाख रु.
7.5	लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की कुल संख्या - योग्यता पुरस्कार	- 348
	छात्राओं के लिए विशेष योग्यता पुरस्कार	- 348
	कुल	- 696

8. चयन की प्रक्रिया

8.1. परीक्षा आयोजित करने वाला बोर्ड/परिषद छात्रों का विवरण (नाम, पता, अंकों का प्रतिशत, अंतिम बार किस स्कूल में गया, निकटतम बैंक आदि) अनुलग्नक-II में दिए गए प्रारूप में परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिनों के भीतर अम्बेडकर प्रतिष्ठान को भेजेगा, जिसकी एक प्रति संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव को भी भेजी जाएगी। बोर्ड/परिषद के सचिव द्वारा सूचना को विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाएगा। राज्य सरकार अगले 15 दिनों के भीतर सूची को सत्यापित करके प्रतिष्ठान को भेजेगी, बशर्ते कि यदि

निर्धारित समय के भीतर राज्य सरकार से विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो बोर्ड/परिषद से प्राप्त विवरण के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

9. <u>संवितरण</u>

9.1 मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रतिष्ठान में कार्यवाही की जाएगी और पुरस्कार राशि पुरस्कार विजेता छात्रों को सीधे पंजीकृत डाक द्वारा खाताधारक बैंक ड्राफ्ट के रूप में भेजी जाएगी, जिसकी सूचना बोर्ड/परिषद और अंतिम बार अध्ययन किए गए शैक्षणिक संस्थान को दी जाएगी। पुरस्कार विजेता छात्रों को राशि को सावधि जमा में रखने और उस पर अर्जित ब्याज का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, बशर्ते कि व्यक्तिगत शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए राशि का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

9.2. 29 बोर्डों/परिषदों में से प्रत्येक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पुरस्कार विजेता छात्रों और सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को या तो प्रत्येक वर्ष डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा या प्रतिष्ठान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्तों के माध्यम से अपनी सुविधानुसार पुरस्कार विजेता छात्रों को पुरस्कार भेज सकता है। यदि प्रतिष्ठान छात्रों को आमंत्रित करता है, तो पुरस्कार विजेता छात्र और एक एस्कॉर्ट को उनके अध्ययन स्थल या उनके निवास स्थान से स्लीपर क्लास ट्रेन/बस द्वारा दिया गया वास्तविक किराया (दोनों तरफ) दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 20.88 लाख रु., 3000 रु. की दर से (पुरस्कार विजेता छात्र और एस्कॉर्ट के लिए औसतन) खर्च किए जाएंगे।

9.3. इस योजना पर प्रतिवर्ष कुल 276.66 लाख रु. का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इससे देश भर में 696 छात्रों को सीधे लाभ मिलेगा और अनुसूचित जाति के छात्रों को योग्यता और शैक्षणिक उत्कृष्टता की मान्यता के कारण अप्रत्यक्ष रूप से काफी लाभ होगा। यदि योजना पर कोई संदेह है, तो इसे डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को भेजा जाएगा और प्रतिष्ठान का निर्णय अंतिम होगा।

10. <u>बोर्ड/परिषद</u>

देश के 29 बोर्डों/ परिषदों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

बोर्डों/ परिषदों की सूची

1. आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, आंध्र प्रदेश विद्या भवन, नामपल्ली, हैदराबाद-500 001
2. असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, असम बामुनीमैदान, गुवाहाटी-781 021
3. बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, बिहार बुद्ध मार्ग, पटना-800 001
4. गोवा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गोवा एम-20, नेहरू नगर, ए-210, बेतिम क्रॉस, ऑल्टो बेतिम, गोवा-403 521
5. गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गुजरात सेक्टर-10-बी, गांधी नगर-382 043
6. हरियाणा शिक्षा बोर्ड, हरियाणा हांसी रोड, भिवानी-125 021
7. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश ज्ञान लोक परिसर, सिविल लाइन्स, धर्मशाला-176 216, जिला: कांगड़ा
8. जम्मू और कश्मीर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, जम्मू और कश्मीर रेरहरि कॉलोनी, जम्मू-180 005 (नवम्बर से अप्रैल) लालमंडी, श्रीनगर-190 005 (मई-अक्टूबर)
9. कर्नाटक बोर्ड ऑफ प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा भवन, पैलेस रोड, बैंगलोर-560 001
10. केरल बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, केरल परीक्षा भवन, पूजापुरा, तिरुवनंतपुरम-695 012
11. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश, भोपाल
12. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड, महाराष्ट्र शिवाजी नगर, पुणे-411 010
13. मणिपुर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, डी.एम. कॉलेज कैंपस, इम्फाल-795001
14. मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड, मेघालय वेस्ट गारो हिल्स, तुरा, मेघालय-794102
15. मिजोरम स्कूल शिक्षा बोर्ड, मिजोरम चल्त्लांग, पोस्ट बॉक्स 7,आइजोल-796012
16. नागालैंड स्कूल शिक्षा बोर्ड, नागालैंड पोस्ट बॉक्स, 98, कोहिमा- 767 001
17. उड़ीसा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद सी-2, प्रज्ञापीठ, सामंतपुर, भुवनेश्वर-751 013
18. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, पंजाब विद्या भवन, एसएएस नगर, फेज-8, मोहाली-160 059

19. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर- 305 001
20. तमिलनाडु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमिलनाडुडीपीआई कंपाउंड, कॉलेज रोड, चेन्नई- 600 006
21. त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, त्रिपुरा नेहरू कॉम्प्लेक्स (गोरखा बस्ती) पी.ओ.: कुंजाबन, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम-799 006
22. यू.पी. हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, यू.पी. इलाहाबाद-211 001
23. पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, विद्या सागर भवन, 9/2, डी.जे.ब्लॉक, सेक्टर-II, साल्ट लेक, कोलकाता-700 091
24. झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद, रामेश्वरम रोड, बरायतू रोड, रांची- 834009.
25. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, पेंशन बाड़ा, रायपुर- 492001.
26. उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद राम नगर, नैनीताल- 263001.

अखिल भारतीय बोर्ड

27. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 2, सामुदायिक केंद्र, शिक्षा केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
28. भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद, 47-48, प्रगति हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
29. राष्ट्रीय मुक्त स्कूल शिक्षा संस्थान ए-38, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048